Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State form 165-Bagidora (ST) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Shri MAHENDRAJEET SINGH MALVIYA (INDIAN NATIONAL CONGRESS) has been duly elected to fill the seat in the House from the above constituency.

Place: Banswara

Date: 11-12-2018

(Dr. Amit yadav.)

Returning Officer

165, Bagidora (ST)

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररुप 21ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

165— बागीदौरा (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन—क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पिटत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में , में घोषणा करता हं कि -

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (इंडियन नेशनल काँग्रेस) द्वारा खडे किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन - क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- बांसवाडा

दिनांक :- 11.12.2018

डॉ अमित यादव) रिटर्निंग ऑफिसर हुआ

165- बागीदौरा (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र

जिला बॉसवाडा